## श्री अग्रवाल सभा ट्रस्ट, कांटाबांजी

# श्री अग्रसेन सहायता कोष

स्थापना : वर्ष २०१५

अग्रवाल सभा ट्रस्ट • कांटाबांजी

श्री श्री १००८ महाराजा श्री अग्रसेन जी के आदर्शो पर आधारित श्री अग्रसेन सहायता कोष की स्थापना अग्रवाल सभा ट्रष्ट, कांटाबांजी द्वारा की गई है।

अग्रवाल समाज एक संपन्न एवं सुदृढ़ समाज है। किन्तु बदलती पारिवारिक स्थिती एवं रोजाना परिवर्तनशील व्यवसायिक परिवेश में अनेक समाज बंधुओं को परिस्थिती वश आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। बढ़ते वैवाहिक खर्चो के कारण सीमित साधनों से विवाह आयोजन दुभर होता जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र में अर्थाभाव के कारण कोई भी मेधावी छात्र उचित शिक्षा से वंचित नही रहना चाहिए। महंगे इलाज के कारण भी समय समय पर आर्थिक सहायता आवश्यक हो जाती है। आपातकालीन परिस्थितीयों का पुर्वाकंन नही हो पाता, मगर ऐसी परिस्थिती का कभी भी सामना करना पड़ सकता है। हमारे पास ऐसी सभी परिस्थितीयों में आवश्यक सहायता हेतु समुचित व्यवस्था रहनी चाहिए।

अग्रवाल सभा कांटाबांजी द्वारा पिछले कई वर्षो से समय समय पर इस विषय मे गंभीर चिन्तन किया जाता रहा है तथा आवश्यकता अनुसार आर्थिक सहायता भी दी गई है। इस वर्ष समाज द्वारा एक दिर्घकालीन स्थायी सहायता कोष की स्थापना की गई है।

अग्रवाल सभा द्वारा स्थापित यह स्थाई कोष "श्री अग्रसेन सहायता कोष" के नाम से होगा। यह राशि दानदाताओं से दान के रुप में प्राप्त की जावेगी एवं इसे सावधी जमा **(Fixed Deposit)** के रुप में बैंक में रखा जावेगा तथा इससे प्राप्त ब्याज राशि को हर वर्ष सहायतार्थ खर्च किया जावेगा।

* दान की राशि किसी भी एक व्यक्ति/परिवार से न्युनतम रु ११,०००/- (रु ग्यारह हजार), तथा अधिकतम की कोई सीमा नहीं, संग्रहित की जावेगी।
* इस कोष में प्रत्येक वर्ष अग्रवाल सभा न्युनतम रु ११,०००/- (रु ग्यारह हजार) अंशदान करेगी तथा अधिकतम की कोई सीमा नहीं है।

**इस स्थायी कोष की राशि को निम्न सेवा कार्यों में व्यय किया जावेगा :**

क) जरुरतमंद समाज के व्यापारी को व्यवसाय हेतु आर्थिक सहयोग।

ख) जरुरतमंद समाज बंधु को कन्या के विवाह हेतु आर्थिक सहयोग।

ग) जरुरतमंद मेधावी छात्र/ छात्राओं को शिक्षा हेतु अनुदान।

घ) जरुरतमंद रोगी को इलाज हेतु आर्थिक सहयोग।

ङ) किसी भी प्रकार के सामाजिक विपत्ति की स्थिती में उसके निवारण हेतु कोष से प्राप्त व्याज का उपयोग किया जा सकेगा।

यह एक दीर्घकालिक सहायता कोष है। कोष की नियमित व्यवस्था हेतु नवगठित अग्रवाल सभा कार्यकारिणी सहायता कोष समिति मनोनीत करेगी।

गठन :

क) इस समिति का गठन / मनोनयन अग्रवाल सभा कार्यकारिणी द्वारा किया जाएगा।

ख) सात (७) सदस्यी इस समिति मे :

१) तत्कालिन अग्रवाल सभा अध्यक्ष, सचिव तथा कोषाध्यक्ष पदेन सदस्य रहेगें।

२) दो (२) सदस्य अग्रवाल सभा कार्यकारिणी द्वारा कार्यकारिणी से मनोनीत किए जाएंगे।

३) दो (२) सदस्य अग्रवाल सभा कार्यकारिणी द्वारा सलाहकार मंडली से मनोनीत किए जाएंगे।

समिति के कार्य एवं नियम :-

१) सहायता कोष हेतु दान/चंदा/सहायता राशि संग्रह करना।

२) कोष हेतु संग्रहीत राशि नियमानुसार विनिमय करना।

३) सहायता हेतु प्राप्त आवेदन के लिए आवेदनकर्ता की पात्रता निर्धारित करना। इस कोष द्वारा देय सहायता की राशि निर्धारित करना एवं कार्यकारिणी से अनुमोदन प्राप्त करना।

४) यह समिति अग्रवाल सभा कार्यकारिणी के अधिन कार्य करेगी तथा कार्यकारिणी के प्रति जवाबदार रहेगी।

५) इस समिति का कार्यकाल अग्रवाल सभा कार्यकारिणी के कार्यकाल सह समान होगा।

६) नव निर्वाचित् अध्यक्ष एवं मंत्री पेनल द्वारा तत्कालिन व्यवस्था हेतु सभा के नियम के तहत विवेकानुसार समिति मनोनीत की जा सकेगी।

७) एक सत्र मे तत्कालीन कार्यकारिणी द्वारा केवल कोष से प्राप्त ब्याज राशि ही ब्यय/सहायता हेतु प्रदान की जा सकेगी, कुल ब्याज आमदनी मे से सहायता राशि भुगतान के अलावा अतिरिक्त धन राशि कोष मे जमा की जावेगी।

८) सत्र के दौरान इस कोष हेतु संग्रहित दान/चंदा/सहायता राशि दीर्घकालिन कोष मे ही जमा करना अनिवार्य होगा।

९) सहायता कोष हेतु प्राप्त रकम तुरन्त ही सहायता कोष के बैंक खाता / बैंक में सावधी जमा खाते मे जमा करवाना अनिवार्य रहेगा।

१०) सहायता कोष का बैंक खाता "श्री अग्रसेन सहायता कोष" के नाम से संचालित होगा।

११) बैंक एकाउंट तथा सभी सावधी जमा राशि (फिक्स डिपोजिट) अग्रवाल सभा अध्यक्ष अथवा सचिव एवं कोषाध्यक्ष (किन्ही दो) द्वारा संचालित होगें। इस सहायता कोष हेतु प्राप्त राशि का आदान प्रदान चेक / ड्राफ्ट या नगद से भी हो सकेगा। कोष हेतु सहायता संपति/ परिसंपति या अन्य स्वरुप में भी स्वीकार होगी।

१२) सत्र समाप्ति के समय तत्कालिक कार्यकारिणी द्वारा नव निर्वाचित अध्यक्ष - मंत्री पेनल के द्वारा मनोनित समिति के पक्ष में बैंक खाता, सभी सावधी जमा / अन्यान्य जमा राशि के संपुर्ण संचालन अधिकार अविलम्ब हस्तांतरित करना अनिवार्य होगा।

१३) कोष हेतु सहायता राशि किसी भी समाज बंधु द्वारा तथा अन्य जायज स्त्रोतो से भी स्विकार्य रहेगी।

१४) कोष द्वारा देय सहायता राशि के भुगतान में स्थानिय समाज बंधु को ही प्राथमिकता दि जाएगी।

१५) यह राशि किसी भी व्यक्ति / व्यापारी को ब्याज से नहीं दी जा सकेगी तथा किसी भी प्रकार का जोखिम निवेश नहीं किया जा सकेगा।

१६) दानदाताओं को अपने दान राशि के विषय पर ब्यौरावार जानने का अधिकार नही हैं। कोष हेतु संग्रहीत राशि - नियमित आमदनी, आय व्यय का पुरा व्योरा कार्यकारिणी द्वारा रखा जाएगा।

१७) कोष का स्वामित्व, नियंत्रण, प्रबंधन एवं अन्यान्य सभी अधिकार अग्रवाल सभा ट्रष्ट कांटबांजी का रहेगा। यह कोष अग्रवाल सभा ट्रष्ट के नियम एवं अग्रवाल सभा के संविधान अनुसार चलेगा।

१८) आवश्यकतानुसार अग्रवाल सभा ट्रष्ट द्वारा कोष के नियमों पर पुनर्विचार, फेरबदल, परिवर्तन किया जा सकेगा।

१९) इस कोष की धनराशि पर अर्जित ब्याज व अन्य आमदनी केवल इस स्थाई कोष के उद्देश्यों मे वर्णीत सेवा कार्यो हेतु ही खर्च की जा सकेगी। इस कोष से उपार्जित आमदनी का अन्यत्र व्यय नही किया जा सकेगा। नियमानुसार व्यय के अलावा अतिरिक्त राशि कोष मे ही निवेश की जावेगी।

२०) किसी भी मतान्तर की परिस्थिती में श्री अग्रवाल सभा ट्रष्ट का निर्णय अंतीम एवं सर्वमान्य होगा।

९. सहायता कोष हेतु प्राप्त रकम तुरन्त ही सहायता कोष के बैंक खाता / बैंक में सावधी जमा खाते मे जमा करवाना अनिवार्य रहेगा।

१०. सहायता कोष का बैंक खाता "श्री अग्रसेन सहायता कोष" के नाम से संचालित होगा।

११. बैंक एकाउंट तथा सभी सावधी जमा राशि (फिक्स डिपोजिट) अग्रवाल सभा अध्यक्ष अथवा सचिव एवं कोषाध्यक्ष (किन्ही दो) द्वारा संचालित होगें। इस सहायता कोष हेतु प्राप्त राशि का आदान प्रदान चेक / ड्राफ्ट या नगद से भी हो सकेगा। कोष हेतु सहायता संपति/ परिसंपति या अन्य स्वरुप में भी स्वीकार होगी।

१२. सत्र समाप्ति के समय तत्कालिक कार्यकारिणी द्वारा नव निर्वाचित अध्यक्ष - मंत्री पेनल के द्वारा मनोनित समिति के पक्ष में बैंक खाता, सभी सावधी जमा / अन्यान्य जमा राशि के संपुर्ण संचालन अधिकार अविलम्ब हस्तांतरित करना अनिवार्य होगा।

१३. कोष हेतु सहायता राशि किसी भी समाज बंधु द्वारा तथा अन्य जायज स्त्रोतो से भी स्विकार्य रहेगी।

१४. कोष द्वारा देय सहायता राशि के भुगतान में स्थानिय समाज बंधु को ही प्राथमिकता दि जाएगी।

१५. यह राशि किसी भी व्यक्ति / व्यापारी को ब्याज से नहीं दी जा सकेगी तथा किसी भी प्रकार का जोखिम निवेश नहीं किया जा सकेगा।

१६. दानदाताओं को अपने दान राशि के विषय पर ब्यौरावार जानने का अधिकार नही हैं। कोष हेतु संग्रहीत राशि - नियमित आमदनी, आय व्यय का पुरा व्योरा कार्यकारिणी द्वारा रखा जाएगा।

किसी भी मतान्तर या विवाद की परिस्थितीओं में श्री अग्रवाल सभा का निर्णय अंतीम एवं सर्वमान्य होगा।

निवेदन : **अत: आप समस्त महानुभावों से अनुरोध है, कृपया इस बहु- उद्देश्यीय पुनीत सामाजिक कार्य के प्रकल्प हेतु बड़े ही समर्पित भाव से, उदारता सह सहयोग करें।**

**अग्रवाल सभा ट्रस्ट, कांटाबांजी**

श्री अग्रवाल सभा ट्रस्ट, कांटाबांजी

# श्री अग्रसेन सहायता कोष

अग्रवाल समाज एक संपन्न एवं सुदृढ़ समाज है। किन्तु बदलती पारिवारिक स्थिती एवं रोजाना परिवर्तनशील व्यवसायिक परिवेश में अनेक समाज बंधुओं को परिस्थिती वश आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। बढ़ते वैवाहिक खर्चो के कारण सीमित साधनों से विवाह आयोजन दुभर होता जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र में अर्थाभाव के कारण कोई भी मेधावी छात्र उचित शिक्षा से वंचित नही रहना चाहिए। मंहगे इलाज के कारण भी समय समय पर आर्थिक सहायता आवश्यक हो जाती है। आपातकालीन परिस्थितीयों का पुर्वाकंन नही हो पाता, मगर ऐसी परिस्थिती का कभी भी सामना करना पड़ सकता है। हमारे पास ऐसी सभी परिस्थितीयों में आवश्यक सहायता हेतु समुचित व्यवस्था रहनी चाहिए।

अग्रवाल सभा कांटाबांजी द्वारा पिछले कई वर्षों से समय समय पर इस विषय मे गंभीर चिन्तन किया जाता रहा है तथा आवश्यकता अनुसार आर्थिक सहायता भी दी गई है। इस वर्ष अपना समाज एक दिर्घकालीक सहायता कोष की स्थापना करने जा रहा है।

अग्रवाल सभा द्वारा स्थापित यह स्थाई कोष **"श्री अग्रसेन सहायता कोष"** के नाम से होगा। यह राशि दानदाताओं से दान के रुप में प्राप्त की जावेगी एवं इसे सावधी जमा **(Fixed Deposit)** के रुप में बैंक में रखा जावेगा तथा इससे प्राप्त ब्याज राशि को हर वर्ष सहायतार्थ खर्च किया जावेगा।

- ★ दान की राशि किसी भी एक व्यक्ति/परिवार से न्युनतम रु ११,०००/- (रु ग्यारह हजार), तथा अधिकतम की कोई सीमा नहीं, संग्रहित की जावेगी।
- ★ इस कोष में प्रत्येक वर्ष अग्रवाल सभा न्युनतम रु ११,०००/- (रु ग्यारह हजार) अंशदान करेगी तथा अधिकतम की कोई सीमा नहीं है।

## इस स्थायी कोष की राशि को निम्न सेवा कार्यों में व्यय किया जावेगा :

क) जरुरतमंद समाज के व्यापारी को व्यवसाय हेतु आर्थिक सहयोग।

ख) जरुरतमंद समाज बंधु को कन्या के विवाह हेतु आर्थिक सहयोग।

ग) जरुरतमंद मेधावी छात्र को शिक्षा हेतु अनुदान।

घ) जरुरतमंद रोगी को इलाज हेतु आर्थिक सहयोग।

ङ) किसी भी प्रकार के सामाजिक विपत्ति की स्थिती में उसके निवारण हेतु कोष से प्राप्त व्याज का उपयोग किया जा सकेगा।

यह एक दीर्घकालिक सहायता कोष है। कोष की नियमित व्यवस्था हेतु नवगठित अग्रवाल सभा कार्यकारिणी सहायता कोष समिति मनोनीत करेगी।

### गठन :

क) इस समिति का गठन / मनोनयन अग्रवाल सभा कार्यकारिणी द्वारा किया जाएगा।

ख) सात (७) सदस्यी इस समिति मे :

१) तत्कालिन अग्रवाल सभा अध्यक्ष, सचिव तथा कोषाध्यक्ष सदस्य रहेगें।

२) दो (२) सदस्य अग्रवाल सभा कार्यकारिणी द्वारा कार्यकारिणी से मनोनीत किए जाएंगे।

३) दो (२) सदस्य अग्रवाल सभा कार्यकारिणी द्वारा सलाहकार मंडली से मनोनीत किए जाएंगे।

### समिति के कार्य एवं नियम :-

१) सहायता कोष हेतु दान/चंदा/सहायता राशि संग्रह करना।

२) कोष हेतु संग्रहीत राशि नियमानुसार विनिमय करना।

३) सहायता हेतु प्राप्त आवेदन के लिए आवेदनकर्ता की पात्रता निर्धारित करना। इस कोष द्वारा देय सहायता की राशि निर्धारित करना एवं कार्यकारिणी से अनुमोदन प्राप्त करना।

४) यह समिति अग्रवाल सभा कार्यकारिणी के अधिन कार्य करेगी तथा कार्यकारिणी के प्रति जवाबदार रहेगी।

५) इस समिति का कार्यकाल अग्रवाल सभा कार्यकारिणी के कार्यकाल सह समान होगा।

६) नव निर्वाचित् अध्यक्ष एवं मंत्री पेनल द्वारा तत्कालिन व्यवस्था हेतु सभा के नियम के तहत विवेकानुसार समिति मनोनीत की जा सकेगी।

७) एक सत्र मे तत्कालीन कार्यकारिणी द्वारा केवल कोष से प्राप्त ब्याज राशि ही ब्यय/सहायता हेतु प्रदान की जा सकेगी, कुल व्याज आमदनी मे से सहायता राशि भुगतान के अलावा अतिरिक्त धन राशि कोष मे जमा की जावेगी।

८) सत्र के दौरान इस कोष हेतु संग्रहित दान/चंदा/सहायता राशि दीर्घकालिन कोष मे ही जमा करना अनिवार्य होगा।

इस स्थायी कोष की स्थापना एवं बेहतर संशाधन के उद्देश्य से "श्री अग्रसेन सहायता कोष" समिति मे निम्नानुसार सदस्यो को मनोनीत किया गया है (संस्थापक सदस्य)

| | |
|---|---|
| १. श्री अनिल अग्रवाल | (अध्यक्ष) |
| २. श्री कैलास चन्द अग्रवाल | (सचिव) |
| ३. श्री अनिल अग्रवाल | (उपाध्यक्ष) |
| ४. श्री संजय अग्रवाल | (उपाध्यक्ष) |
| ५. श्री अजय कुमार जैन | (कोषाध्यक्ष) |
| ६. श्री कैलास चन्द अग्रवाल | (कार्य.सदस्य) |
| ७. श्री मुरारीलाल अग्रवाल | (कार्य.सदस्य) |
| ८. श्री बिनोद कुमार जैन | (सलाहकार) |
| ९. श्री सुरेश कुमार आर्य | (सलाहकार) |

श्री अग्रसेन सहायता कोष नियमावली कार्यकारिणी सभा दिनांक २२.०९.२०१५ मे पारीत की गई एवं साधारण सभा दिनांक २४.११.२०१५ द्वारा अनुमोदित है।

A.K. Agrawal

(अध्यक्ष)

अध्यक्ष
अग्रवाल सभा ट्रस्ट
कांटाबांजी-७६७०३९

Agrawal

(सचिव)

सचिव
अग्रवाल सभा ट्रस्ट
कांटाबांजी-७६७०३९

| नाम | | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| १. श्री अनिल अग्रवाल | (अध्यक्ष) | Anil Kumar Agrawal |
| २. श्री कैलास चन्द अग्रवाल | (सचिव) | Kailash chand Agrawal |
| ३. श्री अनिल अग्रवाल | (उपाध्यक्ष) | Anil kumar Agrawal |
| ४. श्री संजय अग्रवाल | (उपाध्यक्ष) | Sanjay Agrawal |
| ५. श्री अजय कुमार जैन | (कोषाध्यक्ष) | Ajay kumar Jain. Ajain. |
| ६. श्री कैलास चन्द अग्रवाल | (कार्य.सदस्य) | Kailash chand Agrawal |
| ७. श्री मुरारीलाल अग्रवाल | (कार्य.सदस्य) | Murari Lal Agrawal |
| ८. श्री बिनोद कुमार जैन | (सलाहकार) | Binod Kumar Jain |
| ९. श्री सुरेश कुमार आर्य | (सलाहकार) | Suresh Kumar Arya. |

अग्रवाल सभा ट्रस्ट कांटाबांजी